[2017] 3 एस. सी. आर 335

बस समाज

वी.

भारत का संघ

(2015 का हस्तांतरित मामला (ग) सं. 25)

27 अप्रैल, 2017

[रंजन गोगोई और नवीन सिन्हा, जे. जे.]

लोकपाल और लोकायुक्ता अधिनियम, 20133 (2) (ए), 4 (1) (डी), 4 (1) (ई), 4 (2), दूसरा परंतुक।4 (3), एस।10, परंतुक तो।14 (3), एस।16, एस।37 (2) और।63-याचिकाकर्ता की संवैधानिक वैधता कि सी ने कहा कि प्रावधान अनुच्छेद 14 और 50 के खिलाफ हैं, इस आधार पर कि भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के उनके नामित न्यायाधीश, यू/एस।4 (1) (घ) चयन समिति का मात्र सदस्य है और उसके द्वारा दी गई राय को लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के मामले में कोई प्रधानता नहीं है; कि भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसका नामित न्यायाधीश जो डी के लिए सबसे अच्छा होगा, इस न्यायालय के किसी भी ऐसे पूर्व न्यायाधीश की उपयुक्तता पर निर्णय लेता है; और यह कि यू/एस के तहत प्रतिष्ठित न्यायविद की नियुक्ति के लिए कोई मानदंड/मानदंड निर्धारित नहीं हैं।4 (1) (ई)-जोड़ःविवादित प्रावधान संवैधानिक रूप से मान्य हैं-यदि विधानमंडल ने अपने विवेक से मुख्य न्यायाधीश ई या उनके नामित व्यक्ति की राय को प्रधानता नहीं देना और मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति द्वारा दी गई राय को समान दर्जा देना उचित समझा था और ऐसी राय को चयन समिति के अन्य सदस्यों द्वारा दी गई राय के समान माना था, तो इस तरह के विधायी विवेक पर संवैधानिक दुर्बलता के आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है-यदि अधिनियम में निहित विधायी राय अन्य क़ानूनों में प्रदान की गई राय के विपरीत है, तो ऐसे एफ विधायी इरादे को संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य नहीं समझा जा सकता है-प्रतिष्ठित न्यायविद की नियुक्ति के बारे में निर्णय उच्च संवैधानिक अधिकारियों से युक्त निकाय पर छोड़ दिया जाता है।4 (1) (ए) से 4 (1) (डी) तक, इसमें निहित प्रावधानों में कोई पूर्व-प्रत्यक्ष अवैधता नहीं देखी गई है।4 (1) (ई)-भारत का संविधान-जी आर्ट्स। 14 और 50।

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः2015 का हस्तांतरित मामला (सिविल) सं. 25।

बॉम्बे के उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 03.03.2014 आदेश से, मुंबई में 2014.335 336 की रिट याचिका संख्या 4374 में

ए. एस. जी., नलिन कोहली, डी. के. ठाकुर, संचार आनंद, सुश्री किरण बाला सहाय, ए. ए. जी. एस., शांति भूषण, विकास सिंह, बी. प्रभाकरण, वरिष्ठ अधिवक्ता।, प्रशांत भूषण, कार्तिक, रोहित कुमार सिंह, सुश्री सुषमा सूरी, अभय नेवगी, कृष्ण कुमार, गोपाल शंकरनारायणन, जीशान दीवान, सुश्री पूजा धर, जी. आनंद सेल्वम, राम शंकर, वसंत कुमार (गोपाल बी. बलवंत साठे के लिए), जे. पी. त्रिपाठी, गिरधल उपाध्याय, सुश्री आशा उपाध्याय, आर. डी. उपाध्याय, डी. एल. चिदानंद, सुश्री सुनीता शर्मा, रितेश कुमार, मुकेश कुमार मारोरिया, अभिनव मुखर्जी, श्रीमती बिहू शर्मा, सुश्री पूर्णिमा कृष्ण, अनिरुद्ध पी. मयी, ए. सेल्विन राजा, देवेंद्र सिंह, अंकित रॉय, इंद्रजीत सिंह।वकास, आदित्य प्रताप सिंह, सुश्री प्रियंका, सुश्री प्रियदर्शिनी प्रिया, शरद कुमार सिंघानिया, नूपुर सिंघल, संजय कुमार विसेन, राजाराम नारायणन, पी. जीगन, अरुण सिंह, वी. जे. उषा, सुश्री दिव्या, सुश्री सुजाता,

मुकुल रोहतगी, ए. जी. ए.। मारियारपुथम, एजी, सिक्किम, मनिंदर सिंह,

आर. वी. कामेश्वरन, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

रंजन गोगोई, जे. 1.याचिकाकर्ता इस आशय की घोषणा चाहता है कि लोकपाल और लोकायुक्ता अधिनियम, 2013 (इसके बाद संक्षिप्त में 'अधिनियम') के कुछ प्रावधान, अर्थात् धारा 3 (2) (ए) और 4 (1) (डी), 4 (1) (ई), 4 (2), धारा 4 (3) का दूसरा परंतुक, धारा 10, धारा 14 (3) का जी परंतुक, धारा 16, धारा 37 (2) और धारा 63 भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 50 के अधिकार से बाहर हैं।उपरोक्त हस्तांतरित मामले (2015 का आई. डी. 1) में चुनौती मुख्य रूप से इस आधार पर स्थापित की गई है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश या अधिनियम की धारा 4 (1) (डी) के तहत सर्वोच्च न्यायालय के उनके नामित

न्यायाधीश, केवल चयन समिति के सदस्य हैं और मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई राय या तो मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई है।

लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के मामले में भारत के न्यायाधीश या उनके नामित न्यायाधीश को कोई प्राथमिकता नहीं है।उपरोक्त तर्क को इस आधार पर मजबूत करने की कोशिश की जाती है कि इस न्यायालय के चार पूर्व न्यायाधीशों ने अध्यक्ष पद के लिए विचार किए जाने के अपने विकल्प का उपयोग किया था और ऐसी स्थिति में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित न्यायाधीश ही इस न्यायालय के किसी भी ऐसे पूर्व न्यायाधीश की उपयुक्तता पर निर्णय लेने के लिए सबसे उपयुक्त होंगे, जिन्होंने नियुक्ति के लिए विचार करने का विकल्प चुना है।याचिकाकर्ता की ओर से यह भी तर्क दिया जाता है कि अधिनियम की धारा 4 (1) (ई) के तहत एक प्रतिष्ठित न्यायविद की नियुक्ति के लिए कोई मानदंड/मानदंड निर्धारित नहीं हैं, जिससे अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान कानूनी और संवैधानिक रूप से कमजोर हो जाते हैं।

2. हम यह देखने में विफल हैं कि उपरोक्त में से कोई भी विवाद किसी भी संवैधानिक प्रावधान के आलोक में अधिनियम के प्रावधानों की किसी भी दुर्बलता या नाजुकता को कैसे स्थापित कर सकता है ताकि अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं को अधिकार से बाहर कर दिया जा सके।

3. तथ्य यह है कि मुख्य न्यायाधीश या उनके मनोनीत व्यक्ति की राय की प्रधानता कुछ कानूनों द्वारा "परामर्श में" अभिव्यक्ति का उपयोग करके दी जाती है, जिसे न्यायिक राय द्वारा मुख्य न्यायाधीश की राय को प्रधानता प्रदान करने के लिए समझा गया है, अधिनियम में इसकी अनुपस्थिति, अपने आप में, धारा 4 (1) (डी) को संविधान की मूल संरचना से बाहर नहीं करेगी।यदि विधायिका ने अपने विवेक से यह सोचा था कि मुख्य न्यायाधीश या उनके मनोनीत व्यक्ति की राय को प्रधानता न दी जाए और मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति द्वारा दी गई राय को समान दर्जा न दिया जाए और ऐसी राय को चयन समिति के अन्य सदस्यों द्वारा दी गई राय के समान माना जाए, तो हम यह नहीं समझते कि इस तरह के विधायी विवेक पर संवैधानिक दुर्बलता के आधार पर कैसे सवाल उठाया जा सकता है।यह संविधान का अधिदेश नहीं है कि विभिन्न निकायों में विभिन्न कार्यालयों में नियुक्ति से संबंधित सभी एफ मामलों में, मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति की राय को प्रधानता दी जानी चाहिए।ऐसी प्रधानता दी जानी चाहिए या नहीं, यह विधायिका को तय करना है और यदि वर्तमान अधिनियम में निहित विधायी राय अन्य क़ानूनों में प्रदान की गई राय के विपरीत है, तो ऐसे विधायी जी इरादे को अपने आप में संवैधानिक रूप से नहीं समझा जा सकता है।

अस्वीकार्य।

4. जहाँ तक एक प्रख्यात न्यायविद की नियुक्ति का संबंध है, हम इस मुद्दे पर गहनता से विचार करना आवश्यक नहीं समझते हैं सिवाय इसके कि निर्णय को उच्च संवैधानिक निकाय से मिलकर बने उच्च शक्ति वाले निकाय पर छोड़ दिया जाए। अधिनियम की धारा 4 (1) (ए) से 4 (1) (डी) में उल्लिखित कार्यकारियों को अधिनियम की धारा 4 (1) (ई) में निहित प्रावधानों में किसी भी तरह की अवैधता का पता नहीं लगाया जा सकता है। भले ही अधिनियम मानदंडों को निर्धारित करने के लिए हो, लेकिन सभी संबंधितों को संतुष्ट करने वाले सभी व्यापक होने के लिए इसे समझना मुश्किल होगा। अधिनियम की धारा 4 (1) (ई) में निहित प्रावधानों की दुर्बलता की कोई घोषणा बी द्वारा आग्रह किए गए आधारों के आधार पर नहीं की जा सकती है।

5. नतीजतन और उपरोक्त के आलोक में, हम इस हस्तांतरित मामले में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।याचिकाकर्ता-सोसायटी द्वारा दायर रिट याचिका को तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

निधि जैन

मामला खारिज कर दिया गया।